(54)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 821–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–1–2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 374/अपील/2015–16.

बैजन्ती बाई पुत्री तांतू पत्नी पदम सिंह गुर्जर
निवासी सोहागपुर जिला होशंगाबाद .....आवेदिका

विरूद्ध

1– भोजराज उर्फ टनटन आत्मज बारेलाल गूजर
2– मालती बाई पुत्री बारेलाल पत्नी निरंजन
3– धनिया बाई पुत्री बारेलाल पत्नी हाकमसिंह
पुत्रगण जीवन सिंह जाट
निवासीगण पलिया पिपरिया
तहसील बनखेड़ी जिला होशंगाबाद .....अनावेदकगण

श्री एस.एस. पटेल, अभिभाषक, आवेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/9/19 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–1–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा तहसीलदार, बनखेड़ी के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसकी पैतृक खानदानी कृषि भूमि मौजा पालिया पिपरिया का आपसी पूर्व बटवारे के आधार पर खाते में विभाजन किया जाये । आवेदिका ने अपने हिस्से की कृषि भूमि खसरा नम्बर 437 रकबा 6.71 एकड़ खाते से पृथक किये जाने का निवेदन किया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 98/अ–27/2002–03 दर्ज कर दिनांक 19–12–2003 को बटवारा आदेश

पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण एवं अन्य के द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, पिपरिया के समक्ष दिनांक 22–11–2005 को डेड़ वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14–12–07 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र निरस्त कर अपील खारिज की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 10–1–2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण गुण–दोष पर निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया । प्रकरण प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–8–2016 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13–1–2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश यथावत रखते हुए अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका की ओर से मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में उल्लेखित किया है कि प्रश्नाधीन भूमि में स्वत्व का प्रश्न निहित है, जबकि तहसीलदार के समक्ष अनावेदकगण द्वारा न तो कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई है, बल्कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को स्वीकार किये जाने में सहमति दी गई है, जिसकी पुष्टि तहसीलदार के आदेश से होती है । इसके बाद भी अपर आयुक्त द्वारा रिकार्ड से परे हटकर मनमाने तरीके से विधि विपरीत आदेश पारित किया गया है ।

(2) अपर आयुक्त ने संहिता की धारा 178, 109 एवं 110 के प्रावधानों को समझने में भूल की है । खानदानी सम्पत्ति में यदि किसी भाई या परिवार के सदस्य का नाम भले ही अंकित नहीं हो, लेकिन उसका हक अधिकार यथावत रहता है, और वह अपने हिस्से की मांग कर सकता है, और प्रश्नाधीन भूमि खानदानी सम्पत्ति है, जिसमें आवेदिका के पिता तांतू का जन्म से आधी भूमि पर हक एवं अधिकार है ।

(3) यह भी विचारणीय बिन्दु है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 14–12–07 के तहत अनावेदकगण की अपील खारिज की गई थी, उसमें अपील का प्रावधान है लेकिन अनावेदकगण द्वारा निगरानी पेश किया गया, और अपर आयुक्त ने निगरानी ग्राह्य कर प्रकरण रिमाण्ड किया, वह भी गलत है, क्योंकि जिस आदेश के विरूद्ध अपील का प्रावधान है, उसमें निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है । अतः संहिता में हुए संशोधन के फलस्वरूप अपर आयुक्त को दिनांक 10–1–13 को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का अधिकार नहीं था । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेशों में अपीलीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है, क्योंकि साक्षियों के कथनों एवं आवेदिका द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 14–1–93 एवं आपसी बटवारा, इकरारनामा दिनांक 7–7–92 का न तो अवलोकन किया गया, और न ही इस संबंध में कोई निष्कर्ष निकाला गया है ।

(5) प्रश्नाधीन भूमि में आवेदिका को 1/2 हिस्सा विरासत हक में प्राप्त है तथा बारेलाल द्वारा निष्पादित वसीयतनामा अनुसार खसरा नम्बर 437 रकबा 6.71 एकड़ वसीयत से प्राप्त है । इस प्रकार वास्तव में आवेदिका 15.09 एकड़ भूमि प्राप्त करने की अधिकारी है ।

(6) आवेदिका के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा पूर्णतः सिद्ध होकर अस्तित्व में है, जिसे किसी भी सक्षम न्यायालय में अनावेदकगण द्वारा चुनौती नहीं दी गई है, और उक्त वसीयतनामा अनावेदकगण पर बंधनकारी है, और वसीयतनामा के आधार पर आवेदिका को भूमि प्राप्त हुई है ।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त कर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपर आयुक्त के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए आदेश पारित किया गया है कि आवेदिका के पिता तांतू प्रश्नाधीन भूमि के सहखातेदार नहीं थे इसलिए तांतू की वारिस आवेदिका को भी प्रश्नाधीन भूमि पर कोई हक प्राप्त नहीं होता है । अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा भी अपने

आदेश में संहिता की धारा 178 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–1–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर